पत्रांक 1521/15

प्रेषकः—

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार,
सरकार के उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

मुज0 दिनांकः— 09/9/15

विषय— नॉर्थ बिहार पारा मेडिकल एण्ड एलाईड हेल्थ एजुकेशन इन्स्टीच्यूट, ग्राम — मधुबनी, पो0 — पताही, प्रखण्ड — मुशहरी, जिला — मुजफ्फरपुर के पारा मेडिकल कोर्स के संचालन हेतु पुनः स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या — 953(1) दिनांक — 25.08.2015 के आलोक में सूचित करना है कि उक्त पारा मेडिकल संस्थान का निरीक्षण तत्कालीन प्राचार्य, डा0 दिनेश कुमार सिन्हा ने किया था, जिसमें आपके पत्रांक — 605(1) दिनांक — 27.05.2015 के द्वारा कई त्रुटियों को दर्शाया गया है, यथाः—

1) प्रतिवेदन के साथ संलग्न अभिलेखो पर निरीक्षण दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर नही है ।
2) प्रतिवेदन के साथ संलग्न अभिलेख किस संस्थान से संबंधित है, अस्पष्ट है ।
3) विवरणी के अन्तिम स्तम्भ में उपलब्ध मानक के स्थान पर मानक ही अंकित है ।

साथ ही आपके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक — 63/15 दिनांक — 16.06.15 का उल्लेख किया गया है, यह पत्रांक इस चिकित्सा महाविद्यालय कार्यालय का नही है । जाँच करने पर यह पाया गया कि पत्रांक — 63/15 दिनांक — 16.06.15 इस चिकित्सा महाविद्यालय के फिजियोलौजी विभाग का है । विदित हो कि तत्कालीन प्राचार्य, डा0 दिनेश कुमार सिन्हा सेवा निवृति के पश्चात वर्तमान में फिजियोलौजी विभाग में प्राध्यापक (संविदा) के पद पर कार्यरत है ।

पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण नियमावली, 2005 की कंडिका 6 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त संस्थान में उपलब्ध आधारभूत संरचना, स्टाफ तथा अन्य उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं की सत्यता एवं वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए पुनः स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि नॉर्थ बिहार पारा मेडिकल एण्ड एलाईड हेल्थ एजुकेशन इन्स्टीच्यूट, ग्राम — मधुबनी, पो0 — पताही, प्रखण्ड — मुशहरी, जिला — मुजफ्फरपुर के पारा मेडिकल कोर्स के संचालन हेतु वर्णित त्रुटियों के निराकरण के लिए पुनः स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन का आदेश देने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन

9/9/15

प्राचार्य — सह — अध्यक्ष